प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री आदित्य नारायण पब्लिक स्कूल,
धरसौना, चोलापुर, वाराणसी।

पत्रांकः/मान्यता/4496-97 /2008-2009 दिनांक : 2 अगस्त, 2008

विषय : प्राथमिक स्तर (कक्षा-1 से 5 तक) की अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 984/15-6-90-18 एस० (7)/89 दिनांकः 20 अप्रैल, 1990 एवं एतद् विषयक सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के पृ०सं०:/बे०शि०प०/सा-5/79-413/99-2000 दिनांकः 16-04-1999 के परिपेक्ष्य में जिला मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर तक (कक्षा-1 से 5 तक) की अस्थायी मान्यता निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1- सम्बन्धित विद्यालय अपने स्वामित्व में भवन विकसित करेंगे।
2- प्रबन्ध तन्त्र सभी प्रशिक्षित अध्यापकों को नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति करने के लिए इस कार्यालय से अनुमोदन अवश्य कराना सुनिश्चित करें। अप्रशिक्षित अध्यापकों को कदापि अनुमन्य नहीं किया जायेगा। अप्रशिक्षित अध्यापकों को तत्काल हटाकर उनके स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक रखे जाये।
3- नियमानुसार मानक के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक सहित कुल 5 शिक्षक अनुमन्य होंगे। प्राथमिक विद्यालय में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी का कोई पद अनुमन्य नहीं है।
4- विद्यालय में विभागीय पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापन कार्य किये जायेगे। निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त शिक्षा कदापि न दी जाय।
5- छात्रों से नियमानुसार रू० 15/- (रूपयें पन्द्रह) मात्र ही शुल्क लिये जाय और प्रत्येक निधियों का खाता/पासबुक खोलकर जमा किया जाय तथा उसका लेखा-जोखा आदि रखा जाय।
6- छात्रों के खेलने हेतु मैदान की व्यवस्था किया जाय।
7- विद्यालय प्रबन्धाधिकरण का यह दायित्व होगा कि वे सभी शर्तो को पूर्ण कर निर्धारित अवधि के मध्य स्थायी मान्यता हेतु आवेदन-पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समयान्तर्गत प्रस्तुत करें।
8- संस्था के पंजीयन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण होना नितान्त आवश्यक है।
9- विद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधि उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।

भवदीय

2/8/08

(प्रदीप कुमार पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

पृ०सं०:/मान्यता/ /2008-2009 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि : सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, चोलापुर, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

Principal
Shree Aditya Narayan Singh
Public School
Dharsauna, Cholapur Varanasi

Manager
Shree Aditya Narayan Singh
Public School
Dharsauna, Cholapur-Varanasi

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री आदित्य नारायण सिंह पब्लिक जू०हा०स्कूल
धरसौना, चोलापुर-वाराणसी।

पत्रांकः/बेसिक/4228-31 /2008–2009 दिनांक : 31-7-2008

विषय : जूनियर हाई स्कूल की अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 646/15–6–97–18 एस० (7)/89 दिनांकः 13 अगस्त, 1997 के प्राविधानान्तर्गत मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से कक्षा 8 तक) स्तर की अस्थायी मान्यता आदेश निर्गत होने की तिथि से निर्गत की जाती है। स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करने पर तभी विचार किया जायेगा जब नियमानुसार विद्यालय स्थायी मान्यता की शर्तो को पूरा करेगा।

उपर्युक्त वर्णित शासनादेश में निहित निर्देशानुसार विद्यालय में निम्नांकित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य किये जाते हैं, जिसके सापेक्ष नियमानुसार चयन के माध्यम से नियुक्ति कर इस कार्यालय से उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाना वैधानिक होगा।

क्र०सं०	सृजित पद	संख्या	
1	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका	1	(एक)
2	सहायक अध्यापक	4	(चार) जिसमें एक विज्ञान/गणित एवं भाषा का होगा।
3	लिपिक	1	(एक)
4	परिचारक	1	(एक)
	कुल	7	(सात)

शासकीय एवं विभागीय निर्देशों के उल्लंघन करने तथा मान्यता सम्बन्धी कोई भी सूचना/तथ्य छिपाये जाने अथवा असत्य पाये जाने पर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थाधिकारी का होगा।

भवदीय

(प्रदीप कुमार पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

पृ०सं०:/बेसिक/ /2008–2009 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ०प्र०, इलाहाबाद।
2– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।
3– सम्बन्धित स०बे०शि०अ०/नगर शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

(प्रदीप कुमार पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

Principal
Shree Aditya Narayan Singh
Public School
Dharsauna, Cholapur Varanasi

Manager
Shree Aditya Narayan Singh
Public School
Dharsauna, Cholapur-Varanasi